[ 2018 ] 14 एस. सी. आर 328

आलोक कुमार सिंह और अन्य

वी.

यू. पी. और अन्य राज्य

( 2018 की सिविल अपील संख्या 11370)

नवंबर 27,2018

[ कुरियन जोसेफ और उदय उमेश ललित, जे. जे।]

उत्तर प्रदेश उप-निरीक्षक और निरीक्षक (सिविल पुलिस) सेवा नियम, 2018-rr. 6 , 14 और 15-में किया गया चयन उत्तरदाता-उत्तर प्रदेश के उप-निरीक्षकों (सिविल पुलिस) के 3698 पदों और प्लाटून कमांडर (प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी या पी. ए. सी.) के 312 पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन के अनुसार राज्य-अंतिम परिणाम भरने के लिए प्रकाशित किए गए थे।

226 पदों को छोड़कर सभी पद अर्थात् 205 और 21 पद स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए आरक्षित हैं-कुछ उम्मीदवारों के चयन के लिए चुनौती इस आधार पर उठाई गई है कि उम्मीदवारों ने मुख्य परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर देते समय व्हाइटनर/ब्लेड का उपयोग किया था-अंतिम परिणाम ऐसे सभी के नामों को छोड़कर संशोधित किए गए हैं।

उम्मीदवार-चुनौती-हनुमान दत्त शुक्ला मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश कि ऐसे उम्मीदवार जिनके नाम मुख्य परीक्षा में व्हाइटनर या ब्लेड के उपयोग के परिणामस्वरूप बाहर कर दिए गए थे, उन्हें भी समायोजित किया जाएगा-809 सफल उम्मीदवारों की सूची घोषित की गई-पूरी चयन प्रक्रिया और संशोधित अंतिम परिणाम को फिर से उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई-लिखित याचिकाएं खारिज कर दी गईं-इस बीच, याचिकाओं के एक अन्य समूह ने पूरी चयन प्रक्रिया के निर्देश को चुनौती दी कि मुख्य लिखित परीक्षा का परिणाम 2016 की विशेष अपील No.416 में उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पुष्टि की गई नए सिरे से तैयार किया जाए-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान चयन में एक से अधिक अवसरों पर अंतिम सूची में संशोधन सहित विभिन्न हस्तक्षेप देखे गए हैं और 607 पदों की बड़ी संख्या में रिक्तियों पर विचार करते हुए जहां कुछ उम्मीदवारों ने या तो प्रशिक्षण बंद कर दिया है या चिकित्सा परीक्षा/चरित्र सत्यापन में अर्हता प्राप्त नहीं की है, एक बार के अपवाद के रूप में यह निर्देश दिया जाता है कि ऐसे 607 पद वर्तमान चयन में ही उपलब्ध कराए जाएं-2016 की विशेष अपील में उच्च न्यायालय का निर्णय केवल नियमों के अनुसार सही था।

12030 उम्मीदवारों को समूह में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती थी

14256 की संख्या के खिलाफ चर्चा-लेकिन इतने लंबे समय तक, अभ्यास को फिर से करना और अतिरिक्त संख्या को विचार से समाप्त करना अनुचित होगा, विशेष रूप से जब 14256 की संख्या उन सभी का प्रतिनिधित्व करती है जिन्होंने लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं और अभी भी 607 रिक्तियां भरी जानी हैं-हनुमान दत्त शुक्ला मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के संदर्भ में 809 उम्मीदवारों को लाभ दिया गया था।

इसके बाद 24 समान रूप से स्थित उम्मीदवार-इस संख्या में 833,189 समान रूप से स्थित उम्मीदवारों को जोड़ना होगा जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में बताया गया है-इस पहलू को बार-बार स्पष्ट किया गया था कि वे रिक्तियां अतिरिक्त होंगी -

इसलिए, किसी भी मामले में वर्ष 2011 से संबंधित चयन में चुने जा सकने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या 4010 + 1022 से कम नहीं होनी चाहिए-निर्देश जारी किए गए।

निर्देश जारी करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान चयन में अंतिम सूची में संशोधन सहित विभिन्न हस्तक्षेप देखे गए हैं

एक से अधिक अवसरों पर और 607 पदों की बड़ी संख्या में रिक्तियों को देखते हुए जहां कुछ उम्मीदवार या तो

प्रशिक्षण बंद कर दिया गया या चिकित्सा परीक्षा/चरित्र सत्यापन में अर्हता प्राप्त नहीं की, एक बार के अपवाद के रूप में यह निर्देश दिया जाता है कि ऐसे 607 पदों को वर्तमान चयन में ही उपलब्ध कराया जाए। इस तरह के निर्देश का एक और कारण यह है कि वर्तमान में बड़ी संख्या में 8000 से अधिक पद उपलब्ध हैं।

सफल चयन। इसी तरह, 2016 की विशेष अपील No.416 में उच्च न्यायालय का निर्णय सही था। नियमों के अनुसार, केवल 12030 उम्मीदवारों को अनुमति दी जा सकती थी की संख्या के विरुद्ध समूह चर्चा में भाग लें

वे उन सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं और अभी भी 607 रिक्तियों को भरा जाना है। [ पैरा 25] [347-ई-एच] 1.2 दिनांक 31.10.2017 के आदेश में, सर्वोच्च न्यायालय ने 50 प्रतिशत की पात्रता के पालन पर जोर दिया था, जबकि दिनांकित 30.11.2017 के आदेश में चयन प्रक्रिया [2018] 14 एस. सी. आर. को पूरा करने का निर्देश दिया गया था।

योग्यता के क्रम में। इसके बाद, 16.01.2018 दिनांकित आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया कि योग्यता, आरक्षण और वरीयता जैसे तीन कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसलिए यह निवेदन कि आदेश या निर्देशों का लाभ, यदि कोई हो, उन लोगों तक ही सीमित होना चाहिए जो अकेले इस न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष हैं/थे। योग्यता की अनदेखी करने वाले याचिकाकर्ताओं या हस्तक्षेप करने वालों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। [ पैरा 26] [348-ए-बी]

1.3 हालांकि समूह चर्चा के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की संख्या अधिसूचित रिक्तियों की तुलना में तीन गुना होनी चाहिए थी।

12030 , बोर्ड ने 14256 उम्मीदवारों को बुलाया था। पहली सूची अर्थात। आई. डी. 1 पर अधिसूचित परिणाम में ऊपर बताए गए स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के परिणामस्वरूप 226 रिक्त पदों को छोड़कर 3784 उम्मीदवारों के नाम थे। हनुमान दत्त शुक्ल मामले में इस न्यायालय के फैसलों के संदर्भ में 809 उम्मीदवारों को लाभ दिया गया, इसके बाद 24 समान रूप से स्थित उम्मीदवारों को लाभ दिया गया। 833 की इस संख्या में, 189 समान रूप से स्थित उम्मीदवारों को जोड़ना होगा, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा 14.08.2018 पर पारित आदेश में बताया गया है। हनुमान दत्त शुक्ला मामले में इस अदालत का निर्णय बहुत स्पष्ट था कि संशोधित अंतिम सूची दिनांक 1 को बाधित नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन उन उम्मीदवारों को लाभ दिया जाना चाहिए जिन्हें मुख्य परीक्षा का उत्तर देते समय व्हाइटनर/ब्लेड आदि के उपयोग के लिए बाहर रखा गया था। इस पहलू को बार-बार स्पष्ट किया गया था कि वे रिक्तियां अतिरिक्त होंगी और इसलिए, 1022 की संख्या (हनुमान दत्त शुक्ला के संदर्भ में 809, दीपक कुमार के संदर्भ में 24 और दिनांकित 14.08.2018 के आदेश के संदर्भ में 189) को 4010 के आंकड़े के अलावा गिना जाना चाहिए। इसलिए, चयन में चुने जा सकने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या

वर्ष 2011 किसी भी मामले में 4010 + 1022 से कम नहीं होना चाहिए।

1022 उम्मीदवारों के समूह बनाने वाले उम्मीदवारों की स्थिति और पहचान बहुत स्पष्ट है। इस संदर्भ में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अधिसूचित रिक्तियां केवल अनुमानित हैं और

यदि सेवा की आवश्यकताओं में संख्या बढ़ जाती है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। [ पैरा 28] [349-सी-एच]

1.4 वर्तमान मामले की विचित्र तथ्य स्थिति में, एक बार के अपवाद के रूप में, निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं:

आलोक कुमार सिंह बनाम। यू. पी. राज्य

क) कुछ उम्मीदवारों के परिणामस्वरूप खाली पड़े 607 पद

यदि प्रशिक्षण बंद कर दिया गया है या चिकित्सा परीक्षा/चरित्र सत्यापन में अर्हता प्राप्त करने में विफल रहा है, तो योग्यता के क्रम में और 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने की पूर्ति के अधीन, वर्तमान चयन में ही पेश किया जाएगा और उपलब्ध कराया जाएगा। ख) स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के संवर्ग में उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के परिणामस्वरूप 226 रिक्त पद हैं।

आम तौर पर, "स्वतंत्रता सेनानी" एक ऐसी श्रेणी नहीं है जो समय के साथ बढ़ती रहेगी। किसी भी मामले में, ऐसे चयन हैं जिनमें उम्मीदवारों के लिए 8000 से अधिक पद उपलब्ध हैं। इसलिए उन उम्मीदवारों के हितों का ध्यान रखा जाएगा जो "स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों" के विवरण का जवाब देते हैं। ये 226 पद वर्तमान चयन के लिए भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

ग) इसलिए राज्य सरकार और उसके अधिकारियों को वर्तमान में 833 पद (607 + 226) उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाता है।

आरक्षण और वरीयता। (घ) इस निर्णय के संदर्भ में उपरोक्त 833 पदों को भरने का निर्देश पहले से जारी किए गए किसी भी अन्य निर्देश के अतिरिक्त है।

ई) 2018 का एसएलपी (सिविल) Nos.10674,2018 का 10675,2018 का 12891-12893 और 2018 का 15699 मामलों का एक समूह दायर किया गया है।

ऐसे व्यक्ति जो या तो पुलिस सेवा में हेड कॉन्स्टेबल या कॉन्स्टेबल हैं और सब इंस्पेक्टर (सिविल पुलिस) के पद पर पदोन्नति चाहते हैं। चूंकि विवाद की प्रकृति और उसमें उठाए गए प्रश्न वर्तमान चयन से पूरी तरह से असंबद्ध हैं, इसलिए कहा गया है कि मामलों को अलग किया जाता है और यह निर्देश दिया जाता है कि उन्हें उपयुक्त निर्णय से तुरंत पहले सूचीबद्ध किया जाए।

विचार के लिए बेंच। [ पैरा 29] [349-सी-एच; 350-ए-बी]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 11370

2018 से। 2015 के रिट-सी संख्या 67748 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 29.01.2016 से।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

के साथ

सी. ए. सं. 11372 , 11373 , 11374 , 11375 , 11371 , 11377 , 11378 , 11379 , 11380 , 11381-82 , 11383 , 11384 , 11385 , 11402 , 11388-90 , 11386-87 , 11391 ,

11392 , 11393 , 11394 , 11406 , 11407 , 11396 , 11398 और 2018 का 11399।

डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या। 735 , 736 और 2017 का 1053।

टी. सी. (ग) संख्या। 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 71 , 73 , 74 , 75 , 80 , 83 , 85 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 93 , 97 , 98 , 99 , 100 , 102 , 103 , 105 , 106 , 109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114 , 116 , 117 , 118 ,

120 , 121 , 122 , 123 , 124 , 125 , 127 , 128 , 129 , 131 , 132 , 133 , 134 , 135 , 136 , 140 , 142 , 144 , 145 , 146 , 147 , 148 , 149 , 151 , 152 , 153 , 154 , 155 , 156 , 157 , 159 , 161 , 162 , 165 , 166 , 167 , 168 , 169 , 171 , 172 , 173 , 176 , 178 , 180 , 181 , 183 , 184 , 107 , 141 , 219 , 226 , 227 , 220 , 192 , 216 , 200 , 185 , 186 , 187 , 188 , 189 , 190 , 191 , 194 , 195 , 196 , 197 , 199 , 201 , 202 , 203 , 204 , 205 , 207 , 206 , 213 , 215 , 214 , 217 , 218 , 222 , 221 , 224 , 225 , 228 , 229 , 230 , 232 , 234 , 241 , 252 , 231 , 250 , 233 , 247 , 246 , 235 , 242 , 236 , 237 , 244 , 238 , 239 , 254 , 255 , 245 , 277 , 278 , 279 , 281 , 282 , 283 , 289 , 284 , 285 , 287 , 286 , 288 , 292 , 297 , 299 और 2017 का 307।

डब्ल्यू. पी. (ग) 2018 की सं. 22,441,913 और 1059 अवमानना याचिका (सी) संख्या. एसएलपी (सी) संख्या में 815/2018.16669/2017

टी. सी. में एम. ए. सं. 1993/2018 (C) नहीं। 210/2017 टी. सी. में एम. ए. सं. 1960/2018 (C) नहीं। 293/2017

टी. सी. में अवमानना याचिका (सी) संख्या 1200/2018 (C) नहीं। 58/2017

टी. पी. में अवमानना याचिका (सी) संख्या 1257/2018 (C) नहीं। 283/2017 टी. सी. (ग) 2018 की सं. 53

2018 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 10674,10675,12891-12893 और 15699 टी. सी. (ग) टी. पी. में सं. 62/2018। (C) नहीं। 1053/2018

ऐश्वर्या भाटी, ए. ए. जी., आर. वेंकटरमानी, वी. शेखर, पराग त्रिपाठी, मनोज प्रसाद, अनूप जी. चौधरी, सुश्री जून चौधरी, राकेश खन्ना, दुष्यंत दवे, पल्लव सिसोदिया, सुश्री महालक्ष्मी, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , नागमुथु, पीयूष शर्मा, अविजीत मिश्रा, यशराज बुंदेला, प्रवीण विग्नेश, आनंद नंदन, आलोक कुमार सिंह बनाम।

रोहित रंजन, सुमित मिश्रा, अमित पवन, राजीव कुमार दुबे, वैद्यति मिश्रा, कमलेंद्र के. मिश्रा, अमित बोस, हितेश कुमार शर्मा, एस. के. राजोरा, एम. ए. चिन्नासामी, डॉ. लोकेंद्र मलिक, दानिश जुबैर खान, प्रशांत शुक्ला, मधुमय मिश्रा, सुश्री श्रेया मिश्रा, डॉ. सत्येंद्र कुमार मिश्रा, सत्यजीत कुमार, प्रदीप कुमार। द्विवेदी, विवेक तिवारी, उमेश दुबे, डॉ. विनोद कुमार तिवारी, सुश्री कौसर रजा फरीदी, प्रशांत कुमार सिंह, जुगल किशोर गुप्ता, संजय रस्तोगी, विवेक विश्नोई, पंकज कुमार सिंह, पवन कुमार शुक्ला, मार्कंड प्रताप सिंह, राज सिंह राणा, यशपाल ढींगरा, सुश्री अनुराधा मिश्रा,

वंदित मिश्रा, सुश्री जान्हवी शर्मा, राघवेंद्र तिवारी, सुश्री ममता तिवारी, अभिषेक वर्मा, नवांक शेखर मिश्रा, पंकज कुमार। मिश्रा, आलोक कुमार मिश्रा, आशुतोष लाल, मनोज कुमार शुक्ला, शेखर कुमार, सुश्री रितु रस्तोगी, आर. सी. कौशिक, राकेश मिश्रा, संदीप कुमार

चौरसिया, संजीव कुमार, सुश्री शालू शर्मा, सूर्योदय प्रकाश तिवारी, सुश्री शुचि सिंह, कृष्ण कांत दुबे, धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, राजू सोनकर, सनवीर एस. महलवार, अरुण अदलखा, माता प्रसाद सिंह, संजय कुमार सिंह, केशव राय, एस. प्रेमचंद्र, सुश्री रंजना आर. सिंह, देबाशीष मिश्रा, आर. सी. शर्मा, अमोल चितले, निर्णीमेश दुबे, श्रीमती प्रज्ञा बघेल, अनुज भंडारी, मृण्मय भट्टमेवाड़ा, हेमंत परमार, विवेक गुप्ता, गोपाल झा, जी. श्रेयश भारद्वाज, मंजीत झा, जी. आर. पांडे, अविनाश शर्मा, एफ. ए. खान, आदेश कुमार, एल. सर्वेश्वर, एम. के. अश्वथी, बिजेंद्र सिंह, रामेश्वर प्रसाद गोयल, सरोज त्रिपाठी, प्रदीप मिश्रा, प्रणय कुमार महापात्रा, रंजीत कुमार शर्मा, शिव [2018] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सागर तिवारी, सुश्री आभा आर. शर्मा, अनिरुद्ध संगनेरिया, सिद्धार्थ दवे, बलराज दीवान, रवि प्रकाश मेहरोत्रा, धनंजय जैन, संजीव मल्होत्रा, संजय जैन, सुश्री के. शारदा देवी, ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, विनय गर्ग, अभिजात पी. मेध, अश्विनी कुमार दुबे, विष्णु शंकर जैन, सुश्री सुष्मिता लाल, रबीन मजूमदार, लक्ष्मी रमन सिंह, जी. रामकृष्ण प्रसाद, राजेश गोयल, यशराज सिंह देवड़ा, श्याम अग्रवाल, गोरकेला विधि कार्यालय, सतपाल सिंह, अधिवक्ता। उनके साथ उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

उदय उमेश ललित, जे।

1. पैरा 29 (ई) में जिन याचिकाओं पर विचार किया गया है, उन्हें छोड़कर सभी विशेष अनुमति याचिकाओं में दी गई अपील की अनुमति।

2. ये अपीलें और संबंधित मामले भर्ती के लिए दिनांक 19.05.2011 के विज्ञापन के अनुसार किए गए चयन से उत्पन्न होते हैं।

4010 उत्तर प्रदेश राज्य में उप-निरीक्षक (सिविल पुलिस) के 3698 पद और प्लाटून कमांडर (प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी या पी. ए. सी.) के 312 पद। चूँकि इन मामलों में उठाए गए मुद्दे एक ही चयन से उत्पन्न होते हैं, इसलिए उन्हें एक साथ निपटाया जाता है।

3. उत्तर प्रदेश उप-निरीक्षक और निरीक्षक (सिविल पुलिस) सेवा नियम, 2018 ('नियम', संक्षेप में) के प्रावधानों में प्रत्यक्ष परीक्षा के लिए परीक्षाओं के पांच चरणों के कार्यक्रम पर विचार किया गया है।

उप-निरीक्षक और प्लाटून कमांडर के पदों पर भर्ती। पाँच चरण इस प्रकार हैंः ( i) शारीरिक मानक परीक्षा (ii) प्रारंभिक लिखित परीक्षा (iii) शारीरिक दक्षता परीक्षा (iv) मुख्य लिखित परीक्षा और (v) समूह चर्चा।

4. नियमों का भाग V भर्ती की प्रक्रिया से संबंधित है।

नियम 14 के संदर्भ में, नियुक्ति प्राधिकरण को भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या निर्धारित और सूचित करना है, जिसमें वे भी शामिल हैं जो आरक्षित श्रेणियों के लिए निर्धारित हैं। नियम 6 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण पर विचार करता है। अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा द्वारा शासित है। ( शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता सेनानियों और पूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1993 (1993 अधिनियम, संक्षेप में)

5. रिक्तियों के विज्ञापन के बाद सीधी भर्ती की प्रक्रिया को नियम 15 में विस्तार से बताया गया है। प्रारंभिक लिखित परीक्षा में सफल होने के लिए नियम 15 (एच) के अनुसार, उम्मीदवार अलोक कुमार सिंह बनाम।

न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। नियम 15 (एच) में प्राप्त अंकों के आधार पर "अस्थायी चयन सूची" तैयार करने पर विचार किया गया है।

मुख्य लिखित परीक्षा और समूह चर्चा। ऐसी अस्थायी चयन सूची आरक्षण नीति के आलोक में प्रत्येक श्रेणी के उम्मीदवारों के संबंध में तैयार की जानी है और उसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस मुख्यालय को भेजी जाती है। इसके बाद चरित्र सत्यापन किया जाता है और नियम 15 (जे) के संदर्भ में यदि उम्मीदवार चिकित्सा परीक्षण या चरित्र सत्यापन में अयोग्य पाए जाते हैं, तो रिक्तियों को आगे के चयन के लिए आगे बढ़ाया जाना है।

6. 4010 पदों के चयन के लिए 19.05.2011 पर विज्ञापन के प्रकाशन के बाद, यानी उप-निरीक्षक (सिविल पुलिस) के लिए 3698 पद और प्लाटून कमांडर (PAC) के लिए 312 पद, चयन प्रक्रिया शुरू की गई थी। शारीरिक परीक्षण के बाद, प्रारंभिक परीक्षा 11.12.2011 पर आयोजित की गई थी। इसके बाद मुख्य परीक्षा 14.09.2014 पर आयोजित की गई, जिसके बाद समूह चर्चा हुई। 226 पदों अर्थात् 205 और 21 पदों के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर सभी पदों को भरने के लिए अंतिम परिणाम 16.03.2015 पर प्रकाशित किए गए थे।

क्रमशः उप-निरीक्षक (सिविल पुलिस) और प्लाटून कमांडर (पी. ए. सी.) की श्रेणियों में स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित, जिन्हें उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण भरा नहीं जा सका। अधिकारियों के अनुसार, इसलिए इन पदों को बाद के चयन के लिए आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी। 7. कुछ उम्मीदवारों के चयन को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि उम्मीदवारों ने मुख्य परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर देते समय व्हाइटनर/ब्लेड का उपयोग किया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि ऐसे उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराया जाना चाहिए था और अंतिम परिणाम से बाहर रखा जाना चाहिए था। इस चुनौती को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2014 की रिट याचिका No.67782 (साकेत कुमार बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य) जिसने अधिकारियों को उन सभी उम्मीदवारों के नामों को बाहर करने का निर्देश दिया जिन्होंने मुख्य परीक्षा में व्हाइटनर/ब्लेड का उपयोग किया था। इस निर्णय के आलोक में, अधिकारियों ने तब 25.06.2015 पर अंतिम परिणाम को संशोधित किया और ऐसे सभी नामों को बाहर कर दिया

उम्मीदवार। नतीजतन, कुछ उम्मीदवार जो 16.03.2015 पर अंतिम परिणाम का हिस्सा नहीं थे, उन्हें संशोधित अंतिम परिणाम में शामिल किया गया। इस प्रकार यह संशोधित अंतिम परिणाम आधार बन गया और इसमें शामिल उम्मीदवारों को इस न्यायालय द्वारा पारित बाद के आदेशों के अनुसार प्रशिक्षण के लिए भेजा गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. उच्च न्यायालय का उपरोक्त निर्णय इस न्यायालय के समक्ष चुनौती का विषय था और इसके निर्णय और दिनांकित आदेश द्वारा

19.01.2016 एसएलपी (सिविल) No.21843-44 शीर्षक हनुमान दत्त शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में, इस न्यायालय ने उन लोगों के तर्क को स्वीकार कर लिया जिनके नाम उच्च न्यायालय के फैसले के परिणामस्वरूप बाहर रखे गए थे। हालाँकि, चूंकि संशोधित अंतिम परिणाम उस समय तक प्रकाशित हो चुका था, इसलिए इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि जिन उम्मीदवारों के नाम 25.06.2015 के संशोधित परिणाम में शामिल किए गए थे, उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। यह निर्देश दिया गया था कि जिन उम्मीदवारों के नाम मुख्य परीक्षा में व्हाइटनर या ब्लेड के उपयोग के परिणामस्वरूप बाहर रखे गए थे, उन्हें भी संशोधित अंतिम परिणाम के अनुसार चुने गए उम्मीदवारों के स्थान पर रखा जाएगा। यह सामान्य आधार है कि उक्त आदेश दिनांक 19.01.2016 के अनुपालन में

इस न्यायालय में, भर्ती बोर्ड द्वारा 809 सफल उम्मीदवारों की सूची 05.12.2016 पर घोषित की गई थी और इस न्यायालय द्वारा पारित 19.01.2016 आदेश के संदर्भ में उचित राहत दी गई थी।

9. इस बीच, पूरी चयन प्रक्रिया और रिट याचिका दायर करके संशोधित अंतिम परिणाम को नई चुनौती दी गई

नहीं। 49802 2015 और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अन्य संबंधित मामले। यह प्रस्तुत किया गया था कि नियम 15 (जे) में "ऐसी रिक्तियों को आगे के चयन के लिए आगे बढ़ाया जाएगा" अभिव्यक्ति का अर्थ यह होना चाहिए कि रिक्तियों को योग्यता के क्रम में अगले उपलब्ध उम्मीदवारों को पेश किया जाना चाहिए, भले ही वे कट ऑफ स्तर बनाने में विफल रहे हों। इस चुनौती को उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय और दिनांक 29.01.2016 के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया था और रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा यह निम्नलिखित रूप में देखा गया थाः

" वर्तमान मामले में, एक स्पष्ट वैधानिक प्रतिबंध है जो प्रदान करता है कि ऐसी रिक्तियों को आगे के चयन के लिए आगे बढ़ाया जाएगा जो विशेष रूप से उम्मीदवारों को चिकित्सा परीक्षण में अयोग्य पाए जाने या चरित्र सत्यापन के परिणामस्वरूप अमान्य पाए जाने के संदर्भ में है। नियम 15 (एच) स्पष्ट रूप से ड्राइंग पर विचार करता है।

मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों और प्रत्येक श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए समूह चर्चा के आधार पर एक अस्थायी चयन सूची तैयार की जाती है, जिसे फिर चिकित्सा परीक्षण और प्रशंसापत्र/चरित्र के सत्यापन के अधीन एक सिफारिश के साथ विभाग के प्रमुख को भेजा जाता है। नियम 15 (एच) विशेष रूप से विचार करता है कि बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जानी है। इसमें यह

इस पृष्ठभूमि में कि नियम 15 (जे) में यह प्रावधान किया गया है कि नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले चरित्र सत्यापन को पूरा करना आलोक कुमार सिंह बनाम है।

यू. पी. राज्य [उदय उमेश ललित, जे।]

आवश्यक है और यदि कोई उम्मीदवार चिकित्सा में अयोग्य पाया गया है

परीक्षण या चरित्र सत्यापन के परिणामस्वरूप, इन रिक्तियों को आगे के चयन के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। यह सिद्धांत कि उपलब्ध रिक्तियों को भरा जाना चाहिए, इसके अधीन है -

चयन की विधि और प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले वैधानिक नियम। प्रत्येक याचिकाकर्ता को निश्चित रूप से ऐसे अंक प्राप्त हुए हैं जो कट ऑफ से कम हैं जो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किए गए थे और इस पर चयन करने में असमर्थ थे कट ऑफ का आधार।

इसलिए, हम याचिकाकर्ताओं की ओर से अनुरोध किए गए निवेदन में कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि नियम 15 (एच) का इस तरह से अर्थ लगाया जाना चाहिए कि 104 उम्मीदवारों की अयोग्यता और 46 की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप जो रिक्तियां खाली रहती हैं, उन्हें योग्यता के क्रम में याचिकाकर्ताओं या अन्य व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से इसमें निहित प्रावधानों के विपरीत होगा

नियम "।

नतीजतन, 2015 की रिट याचिका No.67748 को भी उसी तारीख को खारिज कर दिया गया था, जो निर्णय 2016 की विशेष अनुमति याचिका संख्या 12538 से उत्पन्न सिविल अपील में चुनौती का विषय है। द. उपरोक्त विशेष अनुमति याचिका इस न्यायालय के समक्ष 25.04.2016 पर संबंधित मामलों के साथ आई, जिस तारीख को नोटिस जारी किया गया था।

10. यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय के संदर्भ में 16.03.2016

जिसे डिवीजन बेंच द्वारा अपने निर्णय और आदेश दिनांक 29.07.2016 द्वारा पुष्टि की गई थी, परिणाम को अंतिम रूप देते समय क्षैतिज आरक्षण को अपनाने के संबंध में, एक और संशोधित अंतिम परिणाम 29.11.2016 पर प्रकाशित किया गया था। चूंकि इस संबंध में कोई शिकायत नहीं की गई है, इसलिए हमने इस तरह की चुनौती के संबंध में विवरण में जाने से परहेज किया है और

इस तरह के निर्देशों के परिणामस्वरूप परिणाम। 11. इस बीच, अन्य बातों के साथ-साथ पूरी चयन प्रक्रिया और परिणामी परिणाम को चुनौती देने वाली याचिकाओं का एक और समूह, इस आधार पर कि

अधिकारियों द्वारा अपनाए गए "प्रतिशत की राउंडिंग" ने उल्लंघन किया था

नियमों के नियम 15 (डी) में निर्धारित सिद्धांत जिसके परिणामस्वरूप अयोग्य उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया था, उच्च न्यायालय में दायर किया गया था

इलाहाबाद। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका [2018] 14 एस. सी. आर. में इसके निर्णय और आदेश दिनांक 24.08.2016 द्वारा चुनौती को स्वीकार कर लिया गया था।

2015 का <आई. डी. 1 और यह निर्देश दिया गया कि मुख्य लिखित परीक्षा का परिणाम उसमें की गई टिप्पणियों के आलोक में नए सिरे से तैयार किया जाए। एकल न्यायाधीश के इस निर्णय की पुष्टि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 2016 की विशेष अपील No.416 में की थी। ( धर्मेंद्र कुमार और अन्य बनाम। यू. पी. और अन्य राज्य) और अन्य संबंधित मामले इसके निर्णय और आदेश दिनांक 06.04.2017 द्वारा। एकल न्यायाधीश के निर्णय को बरकरार रखते हुए, खंड पीठ ने आगे कहाः

" यह विवाद में नहीं है कि रिक्तियों की कुल संख्या 4010 थी और इस प्रकार सेवा नियम, 2008 के 15 (च) में निहित प्रावधानों के संदर्भ में, लिखित परीक्षा के मूल्यांकन के आधार पर चयन किए जाने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या 12030 होगी, ताकि उन्हें समूह चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जा सके। चयन में, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी गई थी, 12030 उम्मीदवारों के मुकाबले, उम्मीदवारों की कुल संख्या

जिन्हें सफल घोषित किया गया था और जिन्हें बुलाया गया था और समूह चर्चा के अधीन किया गया था, वे 14243 1 थे। इस प्रकार, 2213 अतिरिक्त उम्मीदवारों को समूह चर्चा के लिए बुलाया गया और इस प्रकार, रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया कि यह अधिनियम के नियम 15 (च) का उल्लंघन है।

सेवा नियम, 2008।

सेवा नियम, 2008 के नियम 15 (च) में निर्धारित किया गया है कि एक उम्मीदवार जिसे शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित किया जाता है, मुख्य लिखित परीक्षा में 400 अंकों की विस्तृत विषयों में उपस्थित होना आवश्यक है। यह आगे स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि एक उम्मीदवार, जो न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्त करने में विफल रहता है।

प्रत्येक विषय में अंक भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। डिवीजन बेंच ने इस प्रकार विशेष अपीलों को खारिज कर दिया।

12. 2016 की विशेष अपील No.416 और अन्य संबंधित मामलों में डिवीजन बेंच के दिनांकित 06.4.2017 के फैसले को चुनौती दी जा रही है। एस. एल. पी. (सी) सं. से उत्पन्न सिविल अपीलों में। 16669 2017 का और 22129 का

2017 और अन्य संबंधित मामले। ये मामले 19.06.2017 पर सामने आए। नोटिस जारी करते समय, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन निर्देश दिया कि इसके अनुसरण में कोई भी कदम उठाया जाए

उच्च न्यायालय के निर्णय का पालन इस न्यायालय के आगे के आदेशों द्वारा किया जाएगा। जब इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया तो मामले 21.07.2017 पर सामने आएः

' समूह चर्चा के लिए बुलाए गए उम्मीदवार 14243 नहीं बल्कि 14256 थे।

आलोक कुमार सिंह बनाम। यू. पी. राज्य [उदय उमेश ललित, जे।]

" यहां उपस्थित सभी विद्वान वकीलों ने हमें सूचित किया है कि 37 रिट याचिकाकर्ताओं सहित 237 व्यक्तियों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

एक क्षमता में विभिन्न चरणों में चयन के खिलाफ न्यायालय या अन्य।

हमें यह भी बताया गया है कि 810 उम्मीदवारों को व्हाइटनर के उपयोग के संबंध में भी शिकायत थी। हालाँकि, उन 810 के लिए उम्मीदवार, अतिरिक्त रिक्तियां बनाई गईं, इसलिए, वे वर्तमान मुद्दे के रास्ते में नहीं आते हैं। चूंकि 810 उम्मीदवारों के संबंध में कोई विवाद नहीं है, जो सिविल अपील संख्या में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के दायरे में आते हैं। 587-588 2016 का दिनांकित

19.01.2016 , हम विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता को यह पता लगाने का निर्देश देते हैं कि उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजने में क्या बाधा है क्योंकि उनका मुद्दा अंततः इस न्यायालय के निर्णय द्वारा सुलझा लिया जाता है। हमें सूचित किया जाता है कि आरक्षण के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, 3784 उम्मीदवारों की एक सूची है -

इसे 26.11.2016 पर प्रकाशित किया गया है, जिनमें से 3533 पहले ही प्रशिक्षण ले चुके हैं। हम विद्वान अतिरिक्त अधिवक्ता को निर्देश देते हैं जनरल यह स्पष्ट करे कि शेष उम्मीदवारों को भी प्रशिक्षण के लिए भेजने में क्या बाधा है। वह यह भी निर्देश लेंगे कि क्या उच्च न्यायालय जाने वाले 237 लोगों को भी विज्ञापन के बाद उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के संबंध में प्रशिक्षण के लिए भेजा जा सकता है।

योग्यता "।

13. 2016 के एसएलपी (सी) No.12538 में, राज्य सरकार की ओर से जवाब में एक हलफनामा दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि प्रत्येक याचिकाकर्ता

कट ऑफ अंकों से कम अंक प्राप्त किए थे। 226 पदों के संबंध में

जिन रिक्तियों को उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण भरा नहीं जा सका था, उन पर 1993 के अधिनियम की धारा 3 (2) के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था, जिसके तहत रिक्त रिक्तियों को अगले दो वर्षों के लिए आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी और रिक्तियों को केवल तभी समाप्त माना जा सकता है जब ऐसे बाद के चयन (ओं) में पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध न हों।

14. इसके बाद, संबंधित मामलों के साथ विशेष अनुमति याचिकाओं के उपरोक्त दोनों सेट 14.09.2017 पर सामने आए, जब वे निम्नलिखित थेः

इस न्यायालय द्वारा निर्देश पारित किए गए थे।

" हम उत्तर प्रदेश राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता को निर्देश देते हैं कि वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक शपथ पत्र प्राप्त करें कि कैसे [2018] 14 एस. सी. आर.

कई उम्मीदवारों पर विचार किया जाना बाकी है जिनके पास है संबंधित में ऊपर बताए गए कट-ऑफ अंक प्राप्त किए

श्रेणियाँ, सूची के बाद के निर्देशों के अनुसार संशोधित की जानी है

उच्च न्यायालय। पहले से चयनित उम्मीदवारों को छोड़कर,

शपथ पत्र से पता चलेगा कि और कितने उम्मीदवार हैं। संबंधित श्रेणियों में।

याचिकाकर्ता या हस्तक्षेपकर्ता के रूप में, अपने विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, जो इसका सत्यापन करेंगे

विवरण दें और इस न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें

31.10.2017 . "

15. इसके द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में एक शपथ पत्र

14.09.2017 पर, राज्य सरकार की ओर से 0.2017 पर दायर किया गया था। इसे निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया थाः

" 11. जैसा कि ऊपर बताए गए सभी उम्मीदवारों ने व्हाइटनर का उपयोग किया /

ब्लेड आदि, और कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं

इस श्रेणी के लिए निर्धारित अंकों को चयनित घोषित किया गया है और

आज की तारीख तक ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं चुना गया है जिसने

उन लोगों के लिए निर्धारित कट-ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त किए गए

जिन्होंने व्हाइटनर/ब्लेड आदि का उपयोग किया या उन लोगों के लिए जिन्होंने गोद नहीं लिया व्हाइटनर/ब्लेड आदि।

12. जैसा कि पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है, 165 उम्मीदवारों/याचिकाकर्ताओं में से

केवल 95 उम्मीदवारों का चयन किया गया। इन 95 की स्थिति रिपोर्ट

उम्मीदवार इस प्रकार हैंः

प्रशिक्षण के लिए भेजे गए उम्मीदवार

1 .

53

उम्मीदवार जिसका चरित्र सत्यापन और

11

2 .

चिकित्सकीय जाँच प्रक्रिया में है।

मेडिकल में अयोग्य पाए गए उम्मीदवार

31

3 .

परीक्षण और चरित्र सत्यापन

कुल

13. कि 237 उम्मीदवारों की सूची (21.10.2017 तक) विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता के कार्यालय से प्राप्त हुई थी। इन सभी 237 उम्मीदवारों ने याचिकाकर्ता के रूप में या मध्यस्थ के रूप में इस माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अभिलेखों की जांच के बाद यह पाया गया कि इनमें से किसी भी उम्मीदवार ने कट-ऑफ अंक तक अंक प्राप्त नहीं किए हैं। ऐसा होने के कारण, उनका परिणाम अब तक नहीं आया था

भर्ती बोर्ड द्वारा घोषित किया गया "।

16. इसके बाद सभी मामले इस अदालत के समक्ष आए। 2017 और इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां की गईं

कुछ पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील का कहना है कि उनके द्वारा विवरण प्रस्तुत करने के बावजूद, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा कोई सत्यापन नहीं किया गया है। किसी भी मामले में राज्य को प्रस्तुत किए गए नामों को छोड़ दिया गया है, उनके विवरणों का सत्यापन किया जाएगा और तीन सप्ताह के भीतर एक और हलफनामा दायर किया जाएगा। यदि कोई भी उम्मीदवार अभी भी विवरण देना चाहते हैं तो वे इसे यू. पी. राज्य की अतिरिक्त महाधिवक्ता सुश्री ऐश्वर्या भाटी को 10.11.2017 पर या उससे पहले प्रस्तुत कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य को यह भी निर्देश दिया जाएगा कि वह एक हलफनामा दायर करे कि पहले से ही चुने गए 4617 उम्मीदवारों में से कितने ने या तो प्रशिक्षण बंद कर दिया है या सेवा छोड़ दी है। यह नियुक्ति के लिए विचार के क्षेत्र में भी स्पष्ट किया जाएगा यदि सामान्य उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ अंक उन लोगों पर लागू किए जाते हैं जिन्होंने व्हाइटनर/ब्लेड आदि का उपयोग किया था।

राज्य को मूल के अनुसार स्पष्टीकरण देने का भी निर्देश दिया गया है।

50 प्रतिशत अंकों की पात्रता, विचार के क्षेत्र में कितने और उम्मीदवार होंगे। "[2018] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

17. तदनुसार, 21.11.2017 पर राज्य सरकार की ओर से अनुपालन का एक हलफनामा दायर किया गया था। यह कहा गया था कि संदर्भ में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार, अतिरिक्त महाधिवक्ता के कार्यालय से 911 नाम प्राप्त हुए थे, जिनमें से 11 उम्मीदवारों का चयन पहले ही किया जा चुका था, जबकि 11 उम्मीदवारों के रोल नंबर बोर्ड के पास उपलब्ध आंकड़ों से मेल नहीं खाते थे। 22 शारीरिक परीक्षा और लिखित परीक्षा में 867 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। यह दावा किया गया कि उक्त 867 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त कुल अंक कट-ऑफ अंकों से कम थे और इसलिए, उनके नाम चयन सूची में नहीं थे। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि पहले से ही चयनित 4617 उम्मीदवारों में से 102 उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण बंद कर दिया था और 3 उम्मीदवारों ने सेवा छोड़ दी थी, इस प्रकार यह स्वीकार किया गया कि चयनित उम्मीदवारों में से 105 रिक्तियां थीं। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि 189 उम्मीदवार जिन्होंने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं पर श्वेतक/ब्लेड आदि का उपयोग किया था, उन्होंने कट-ऑफ अंकों के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त किए थे।

यह आगे प्रस्तुत किया गया कि 14256 उम्मीदवारों ने मुख्य लिखित परीक्षा के चार विषयों में से प्रत्येक में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए थे और इस प्रकार भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए अर्हता प्राप्त की थी।

समूह चर्चा। उन 14256 उम्मीदवारों को तदनुसार समूह चर्चा के लिए बुलाया गया था। लिखित परीक्षा और समूह चर्चा में उनके द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर और राज्य सरकार की नीति के अनुसार आरक्षण के प्रासंगिक नियमों (ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज) को लागू करने के बाद, भर्ती बोर्ड द्वारा एक चयन सूची तैयार की गई थी। इस प्रकार, लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी 14256 उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए माना गया। यह भी कहा गया कि मुख्य लिखित परीक्षा के चार विषयों में से प्रत्येक में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार अब उपलब्ध नहीं हैं। 18. इसके बाद सभी मामले आई. डी. 1 पर आए जब इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था।

..... हम पाते हैं कि हनुमान दत्त शुक्ला बनाम राज्य मामले में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए 189 उम्मीदवारों को शामिल किया जाना है। हम यह भी ध्यान देते हैं कि 100 से अधिक व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है

प्रशिक्षण/सेवा छोड़ दी। व्यक्तिगत याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील ने बताया है कि यह आंकड़ा 200 से अधिक होगा।

आलोक कुमार सिंह बनाम। यू. पी. राज्य [उदय उमेश ललित, जे।]

हम राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए. ए. जी. को यह सत्यापित करने का निर्देश देते हैं कि पहले से नियुक्त 4617 उम्मीदवारों में से उप-निरीक्षकों और प्लाटून कमांडरों के पद पर आज तक कितने व्यक्ति वास्तविक सेवा में हैं। इस संबंध में

रिक्तियों और श्वेत श्रेणी के 189 उम्मीदवारों के संबंध में, हम राज्य को क्रम में चयन प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश देते हैं

गुणों से। ..... ..... ..... " .

19. इसके बाद अपने दिनांक 16.01.2018 के आदेश में इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश दिए:

..... ..... राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि 30.11.2017 दिनांकित आदेश को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका क्योंकि

व्हाइटनर का उपयोग करने वाले उम्मीदवारों के बारे में स्पष्टीकरण की कमी,

हम यह स्पष्ट करते हैं कि जिन उम्मीदवारों ने व्हाइटनर, ब्लेड आदि का उपयोग किया है, उन्हें अन्यथा अनुमति दी गई है, इसलिए राज्य को केवल एक सूची का पालन करने की आवश्यकता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नियुक्ति के मामले में

हमारे दिनांकित 30.11.2017 के आदेश में सभी तीन कारकों, अर्थात् योग्यता, आरक्षण और वरीयता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। .....

... ....." .

20. 16.03.2018 पर इस न्यायालय द्वारा 30.11.2017 और 16.01.2018 पर पारित आदेशों के अनुपालन में राज्य सरकार की ओर से एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया गया था। यह बताया गया कि पुलिस महानिदेशक, लखनऊ के मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पहले से नियुक्त 4617 उम्मीदवारों में से कुल 3858 व्यक्ति उप-निरीक्षकों और प्लाटून कमांडरों के पदों पर वास्तविक सेवा में थे। यह कहा गया कि 72 चयनित उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण आदेश भी जारी किए गए थे, जिसमें कुल 607 पद (उप निरीक्षकः 537 + प्लाटून कमांडरः 70 ) जो खाली पड़े थे। हलफनामे में कहा गया हैः

" जहाँ तक इस माननीय न्यायालय के आदेशों के तहत चयन का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उत्तरदाताओं को उपरोक्त 607 रिक्तियों के साथ-साथ प्रासंगिक आरक्षित श्रेणियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है जिनमें ऐसी रिक्तियां मौजूद हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त रिक्तियों को [2018] 14 एस. सी. आर. में भरा जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस माननीय द्वारा निर्दिष्ट तीन मापदंडों के अनुसार समय-समय पर न्यायालय। योग्यता, वरीयता और आरक्षण "।

21. मामला तब आया-22.03.2018 पर। स्वयं को सुनने के बाद, इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए:

" 1. उप के पद में 4010 की विज्ञापित रिक्तियां

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा गुण-दोष के आधार पर निरीक्षक और प्लाटून कमांडरों को शीघ्रता से दाखिल किया जाना चाहिए।

इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की शर्तें, यदि पहले से भरी नहीं गई हैं

ऊपर।

2 .

हमें राज्य के विद्वान वकील द्वारा सूचित किया गया है

उत्तर प्रदेश कि इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के कारण शायद 4010 से अधिक पदों को भरा जा चुका है। 4010 से अधिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को इस न्यायालय के अगले आदेश तक परेशान नहीं किया जाएगा। क्या
वे व्यक्ति जिन्हें अधिक नियुक्त किया गया है

3 .

उचित आदेश। हम उल्लेख कर
सकते हैं कि विद्वान वकील के अनुसार

4 .

याचिकाकर्ताओं के लिए बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं और शायद कुछ व्यक्तियों को 4010 से अधिक रिक्त पदों के खिलाफ समायोजित किया जा सकता है। हम विद्वान वकील को सुने बिना इस पर कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं।

पार्टियाँ।

5. 14 सितंबर, 2017 को पारित आदेश के बाद, हम यह स्पष्ट और निर्देश देते हैं कि हस्तक्षेप के लिए सभी आवेदन, आदि या कटौती के बाद नए मामले स्थापित किए जाएं।

31 दिसंबर, 2016 की तारीख का निपटारा कर दिया गया है।

22. जब मामले फिर से सामने आए-14.08.2018 पर, यह था

ओ. एस. डी. ने कहा कि 213 उम्मीदवारों को समान रूप से 809 उम्मीदवारों के रूप में हितकारी श्रेणी में रखा गया था, जिनके मामले को इस न्यायालय द्वारा अपने मामले में निपटाया गया था।2016 की सिविल अपील Nos.587-588 में दिनांक 19.01.2016 (हनुमान शुक्ला और अन्य। बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) .

ए सबमिशन आलोक कुमार सिंह बनाम। यू. पी. राज्य [उदय उमेश ललित, जे।]

राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि चयन के लिए अधिसूचित 4010 रिक्तियों के हिस्से के रूप में उक्त 809 उम्मीदवारों के साथ-साथ समान रूप से स्थित 233 उम्मीदवारों को लिया जाना चाहिए। उक्त प्रस्तुति को निम्नानुसार अस्वीकार कर दिया गया थाः

..... श्री. वी. शेखर, विद्वान वरिष्ठ वकील और सुश्री ऐश्वर्या भाटी, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता

उत्तर प्रदेश राज्य ने प्रस्तुत किया कि 809 रिक्तियां 4010 का हिस्सा होनी चाहिए

हमें प्रस्तुतिकरण की सराहना करना मुश्किल लगता है, क्योंकि यह हनुमान दत्त शुक्ला और अन्य में इस न्यायालय के दिनांक 19.01.2016 के आदेश में स्पष्ट किया गया था। बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। ( 2016 की सिविल अपील Nos.587-588) कि श्वेत श्रेणी में 809 उम्मीदवारों के आवास के कारण, किसी को भी नहीं होना चाहिए विस्थापित हुए। इस बात में कोई विवाद नहीं है कि 213 उम्मीदवार (24 + 189) समान रूप से स्थित हैं, इसलिए, इन 213 उम्मीदवारों को भी सभी उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त रिक्तियों के रूप में माना जाना है और वे

तुरंत प्रशिक्षण के लिए भेजा गया।

राज्य के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि

स्पष्टीकरण, जैसा कि ऊपर बताया गया है, उम्मीदवारों को तुरंत कोडल औपचारिकताओं के अधीन प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि इस आदेश के कार्यान्वयन के कारण, श्रेणी (यानी उप निरीक्षक से प्लाटून कमांडर) में परिवर्तन के लिए किसी भी प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं किया जाएगा। ..... .....

23. आई. डी. 1 पर राज्य सरकार की ओर से पहले के अवसरों पर पूछे गए प्रश्नों के जवाब में एक और हलफनामा दायर किया गया था और यह प्रस्तुत किया गया था कि आई. डी. 2 पर उप-निरीक्षक (सिविल पुलिस) और प्लाटून कमांडर (पी. ए. सी.) के संवर्गों में कुल रिक्त पद क्रमशः 8260 और 289 थे। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि 3000 पदों की भर्ती के लिए एक अनुरोध भर्ती बोर्ड को 04.04.2016 पर भेजा गया था, जिसके अनुसार चयन भर्ती बोर्ड द्वारा किया गया था और कहा गया था कि प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में थी। इसके अलावा, भर्ती बोर्ड को 30.06.2018 पर 5234 पदों के संबंध में एक और मांग की गई थी। वर्तमान चयन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुत किया गया थाः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1 . कुल

में से

4,010

रिक्तियां

संख्या

ए एस

प्रति

अधिसूचना एन/विज्ञापन (एस. आई. 3 69 8 + पी. सी. 312) इसके अनुसार प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या

5,3 1,239

2 .

विज्ञापन के लिए

3 .

अधिक जांच योग्य वैध आवेदन

5,0 1,317

4 .

शारीरिक मानक परीक्षण (दस्तावेज़ सत्यापन)

2,7 7,066

जीवन में क्या पाया गया

प्रारंभिक प्रारंभिक परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त व्यक्ति

2,7 7,066

5 .

( 50 % )

2,5 8,029

में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार

6 .

संख्या

में से

जाँच

7 .

परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार

49,100

8 .

शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले व्यक्ति

15,777

डब्ल्यू रिटेन ई xam प्रवेश के लिए बुलाए गए व्यक्ति

15,777

9 .

व्यक्ति परीक्षा के लिए उपस्थित हुए

15,295

10 .

योग्य व्यक्ति

11 .

( गैर-श्वेतक 11,376

14,25 6

डब्ल्यू हिटर 2880)

( चार विषयों की परीक्षा-400 अंक एम में न्यूनतम 50 प्रतिशत

प्रत्येक विषय अगले चरण यानी समूह के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए

चर्चा)

नियम 3 समय के अनुसार अधिसूचित रिक्तियों को होना है

समूह चर्चा के लिए बुलाया गया जिसका अर्थ है 12030

बुलाया जाना था लेकिन बोर्ड ने 14256 पर कॉल किया, जो

सब प्रकट हुए।

एफ इनल सूची एस. आई. के लिए गैर-श्वेतक

3,784

12 .

3 493 और पीसी 291

भूतपूर्व सेवा के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या

226

स्वतंत्रता सेनानियों पर निर्भर थे जो

एन-उपलब्धता नहीं होने के कारण आगे बढ़ाया गया

में से

उम्मीदवार एस

विज्ञापन/अधिसूचना के अनुसार कुल

4,010

बड़ी संख्या में प्राप्त शिकायतों के अनुसार उम्मीदवारों पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाते हुए।

13 . सफेद रंग का उपयोग करने वाले चयनित उम्मीदवारों की संख्या

पहले से ही चयनित जो के अनुसार था के अतिरिक्त

809

विज्ञापन लेकिन आदेश के अनुपालन में

इस माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार शुक्ला दीपक कुमार के मामले में दिनांक 23.08.2017

24

उम्मीदवारों की अधिक संख्या

14 .

कौन होना था

833

न्यायालयों के आदेशों के अनुसार (एस. आई. 755 + पी. सी.) 78 )

उपरोक्त स्थिति से प्राप्त

4,617

15 .

ए एस की स्थिति बनाएँ

( 3 784 +8 33 )

जिन उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण बंद कर दिया/नहीं किया

16 .

607

योग्यता प्राप्त करें

में

चिकित्सकीय

जाँच/चरित्र

सत्यापन

सेवा में लोगों की कुल संख्या (4 617-607)

17 .

24. इसके बाद मामलों को अंतिम सुनवाई के लिए लिया गया और हमने सभी विद्वान वकीलों को सुना। विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि पदों की संख्या अभी भी खाली पड़ी है, इसलिए नियुक्तियां करने के लिए उचित निर्देश जारी किए जाएं और इस तरह के निर्देश का लाभ उन लोगों तक सीमित रखा जाए जो या तो याचिकाकर्ता के रूप में या न्यायालय के समक्ष थे।

हस्तक्षेप करने वाले। दूसरी ओर, राज्य सरकार की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि, जैसा कि उसके विभिन्न हलफनामों में कहा गया है, 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों पर चयन प्रक्रिया में उचित चरणों में विचार किया गया था और ऐसा कोई और उम्मीदवार नहीं था जिसने 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए थे।

50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अब उपलब्ध थे। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि हालांकि उप-निरीक्षक (सिविल पुलिस) के संवर्ग में 8260 और प्लाटून कमांडर (पी. ए. सी.) के संवर्ग में 289 रिक्तियां थीं, लेकिन बाद की दो चयन प्रक्रियाएं पहले ही शुरू की जा चुकी थीं।

25. शुरुआत में, हमें उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 29.01.2016 और 06.04.2017 निर्णयों के लिए उठाई गई चुनौतियों से निपटना चाहिए।

2015 की रिट याचिका No.49802 और 2016 की विशेष अपील No.416 में क्रमशः।

हमारे विचार में, उच्च न्यायालय नियम 15 (जे) में दिखाई देने वाली "ऐसी रिक्तियों को आगे के चयन के लिए आगे बढ़ाया जाएगा" अभिव्यक्ति के निर्माण के संबंध में प्रस्तुतिकरण को अस्वीकार करने में सही था। हालांकि, इन तथ्यों पर विचार करते हुए कि वर्तमान चयन में एक से अधिक अवसरों पर अंतिम सूची में संशोधन और 607 पदों की बड़ी संख्या में रिक्तियों पर विचार करने सहित विभिन्न हस्तक्षेप देखे गए हैं, जहां कुछ उम्मीदवारों ने या तो प्रशिक्षण बंद कर दिया था या चिकित्सा में अर्हता प्राप्त नहीं की थी

परीक्षा/चरित्र सत्यापन, हम एक बार के अपवाद के रूप में यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि ऐसे 607 पदों को वर्तमान चयन में ही उपलब्ध कराया जाए। इस तरह के निर्देश का एक और कारण यह है कि बड़ी संख्या में पद अर्थात् 8000 से अधिक पद वर्तमान में सफल चयन के लिए उपलब्ध हैं।

इसी तरह, 2016 की विशेष अपील में उच्च न्यायालय का निर्णय, हमारे विचार में, सही था। नियमों के अनुसार, केवल 12030

उम्मीदवारों को 14256 की संख्या के खिलाफ समूह चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती थी। लेकिन इस अवधि में, अभ्यास को फिर से करना और अतिरिक्त संख्या को विचार से समाप्त करना अनुचित होगा, विशेष रूप से जब 14256 की संख्या उन सभी का प्रतिनिधित्व करती है जिन्होंने लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं।

परीक्षा और अभी भी 607 रिक्तियों को भरा जाना है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

26. दिनांक 31.10.2017 के आदेश में, इस न्यायालय ने 50 प्रतिशत की पात्रता के पालन पर जोर दिया था, जबकि दिनांक 30.11.2017 के आदेश में कहा गया था

योग्यता के क्रम में चयन प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश। इसके बाद, 16.01.2018 दिनांकित आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया कि योग्यता, आरक्षण और वरीयता जैसे तीन कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसलिए, हम इस दलील को स्वीकार नहीं कर सकते कि आदेश या निर्देशों का लाभ, यदि कोई हो, केवल उन लोगों तक ही सीमित होना चाहिए जो इस न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष हैं/थे, याचिकाकर्ताओं या हस्तक्षेप करने वालों की क्षमता में योग्यता की अनदेखी करते हुए।

वर्तमान मामलों की परिस्थितियाँ। 28. ऊपर उल्लिखित चार्ट के अनुसार, हालांकि समूह चर्चा के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की संख्या तीन गुना होनी चाहिए थी

जैसा कि ऊपर बताया गया है, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के परिणामस्वरूप 226 रिक्त पदों को छोड़ने वाले उम्मीदवार। हनुमान दत्त शुक्ल (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के फैसलों के संदर्भ में 809 उम्मीदवारों को लाभ दिया गया, इसके बाद 24 समान रूप से स्थित उम्मीदवारों को लाभ दिया गया। 833 की इस संख्या में हमें 189 समान रूप से स्थित उम्मीदवारों को जोड़ना होगा जैसा कि इस न्यायालय द्वारा 14.08.2018 पर पारित आदेश में बताया गया है। हनुमान दत्त मामले में इस अदालत का फैसला शुक्ला (ऊपर) बहुत स्पष्ट थे कि संशोधित अंतिम सूची दिनांक 25.06.2015 थी।

परेशान नहीं किया जाना चाहिए लेकिन उन उम्मीदवारों को लाभ दिया जाना चाहिए जिन्हें मुख्य परीक्षा का उत्तर देते समय व्हाइटनर/ब्लेड आदि के उपयोग के लिए बाहर रखा गया था। इस पहलू को बार-बार स्पष्ट किया गया था कि वे रिक्तियां अतिरिक्त होंगी और इसलिए हमें यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि 1022 (हनुमान दत्त शुक्ला (उपरोक्त) के संदर्भ में 809, दीपक कुमार के मामले में 24 और 189 की संख्या 4010 के आंकड़े के अलावा गणना की जानी चाहिए। इसलिए, किसी भी मामले में वर्ष 2011 से संबंधित चयन में चुने जा सकने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या 4010 + 1022 से कम नहीं होनी चाहिए। 1022 उम्मीदवारों के समूह बनाने वाले उम्मीदवारों की स्थिति और पहचान बहुत स्पष्ट है। इस संदर्भ में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अधिसूचित रिक्तियां केवल अनुमानित हैं और यदि सेवा की आवश्यकताओं में संख्या बढ़ती है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

29. अब हम इस मुद्दे पर आते हैं कि दो मामलों में रिक्त पदों के संबंध में क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। सारणीबद्ध चार्ट तब बताता है

स्वतंत्रता सेनानियों आदि के आश्रितों की श्रेणी में उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के परिणामस्वरूप 226 पद खाली रहे और 607 पद उन उम्मीदवारों के परिणामस्वरूप खाली पड़े हैं जिन्होंने प्रशिक्षण बंद कर दिया या चिकित्सा परीक्षा/चरित्र सत्यापन में अर्हता प्राप्त नहीं की। सैद्धांतिक रूप से 226 अधूरे पदों को आगे के चयन के लिए आगे बढ़ाया जाना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए पद निर्धारित किए गए थे।

वर्तमान मामले की विचित्र तथ्य स्थिति में, एक बार के अपवाद के रूप में, हम निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं:

क) कुछ उम्मीदवारों के प्रशिक्षण बंद करने या चिकित्सा में अर्हता प्राप्त करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप 607 पद खाली पड़े हैं।

परीक्षण/चरित्र सत्यापन की पेशकश की जाएगी और किया जाएगा।

वर्तमान चयन में ही उपलब्ध है, पूरी तरह से योग्यता के क्रम में और 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने की पूर्ति के अधीन।

ख) स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के संवर्ग में उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के परिणामस्वरूप 226 रिक्त पद हैं। आम तौर पर, "स्वतंत्रता सेनानी" एक ऐसी श्रेणी नहीं है जो समय के साथ बढ़ती रहेगी। किसी भी मामले में, ऐसे चयन हैं जिनमें उम्मीदवारों के लिए 8000 से अधिक पद उपलब्ध हैं। इसलिए उन उम्मीदवारों के हितों का ध्यान रखा जाएगा जो "स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों" के विवरण का जवाब देते हैं। इसलिए हम निर्देश देते हैं कि ये 226 पद भी वर्तमान के लिए उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

चयन करें।

ग) इसलिए राज्य सरकार और उसके अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे वर्तमान चयन के लिए 833 पदों (607 + 226) को योग्यता के क्रम में सख्ती से उपलब्ध कराए, बशर्ते कि उम्मीदवारों ने मुख्य लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों।

आरक्षण के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा और

वरीयता।

घ) हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस निर्णय के संदर्भ में उपरोक्त 833 पदों को भरने का निर्देश पहले से जारी किए गए किसी भी अन्य निर्देश के अतिरिक्त है।
ई) मामलों का एक समूह अर्थात् एसएलपी (सिविल) संख्या। 10674 2018 का 10675,2018 का 12891-12893 और 2018 का 15699 उन व्यक्तियों द्वारा दायर किए गए हैं जो [2018] 14 एस में हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल हैं।

पुलिस सेवा और पद पर पदोन्नति की मांग कर रहे हैं निरीक्षक (सिविल पुलिस)। चूंकि विवाद की प्रकृति और

इसमें उठाए गए प्रश्न पूरी तरह से असंबद्ध हैं

वर्तमान चयन, हम उक्त मामलों को अलग करते हैं और निर्देश देते हैं कि उपयुक्त पीठ के समक्ष तुरंत सूचीबद्ध किया जाए

विचार करें।

30. सभी अपीलें, लिखित याचिकाएं और स्थानांतरित मामले

उपरोक्त शब्दों में सेड। अनुपालन की मांग करने वाली सभी अवमानना याचिकाएँः

इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को भी 'नो फू' के रूप में निपटाया जाता है।

एस के लिए बुलाया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

31. हम सभी ली द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए आभारी हैं।

और उनके द्वारा किए गए प्रयासों की ईमानदारी से सराहना करते हैं।

पांडे

दिशा-निर्देश I